रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052021-227153
CG-DL-E-24052021-227153

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 2021/ज्येष्ठ 3, 1943
No. 274] NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 2021/JYAISTHA 3, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2021

सा.का.नि. 340(अ).—जबकि, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) ने ईंटों के विनिर्माण हेतु ऊपरी (सतही) मृदा के उत्खनन को प्रतिबंधित करने और विभिन्न प्रयोजनों के लिए कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित फ्लाई-ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (v) और धारा 5 के अधीन सं. का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 1999 जारी किया था।

जबकि, केंद्रीय सरकार ने कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य से 300 किलोमीटर के अंदर नए लाल मिट्टी के ईंट भट्टों को निषिद्ध करने के संबंध में मूल अधिसूचना से प्रभावित होने वाली संभावित जनता के सूचनार्थ और केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए आपत्ति या सुझाव प्राप्त करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (v) और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 157 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2019 के द्वारा मूल अधिसूचना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था।

और जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई-ऐश का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के उद्देश्य से अधिसूचना को समेकित करने के लिए मूल अधिसूचना सं.का.आ. 763 (अ), तारीख, 14 सितम्बर,1999 और इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के पुनरीक्षण पर विचार कर रहा है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (v) और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 157 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2019 का विखंडन करती है।

[फा. सं. 09/01/2019-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2021

G.S.R. 340(E).—Whereas the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (erstwhile Ministry of Environment and Forests) vide number S.O.763(E) dated the 14th September, 1999 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for restricting the excavation of top soil for manufacturing of bricks and promoting utilisation of fly ash generated from coal or lignite based thermal power plant for various purposes.

Whereas, the Central Government proposed amendments to the principal notification *vide* notification number G.S.R.157(E), dated the 25th February, 2019 under the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), regarding prohibition of new red clay brick kilns within 300 kilometers from coal or lignite based thermal power plants and others, for information of the public likely to be affected by it and for obtaining objections or suggestions for consideration by the Central Government.

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is considering the revision of the principal notification number S.O.763(E), dated the 14th September, 1999 and its subsequent amendments for consolidating the notification in the interest of effective fly ash utilisation by the coal or lignite based thermal power plants.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number G.S.R.157(E), dated the 25th February, 2019.

[F.No.09/01/2019-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.05.24 20:56:46 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2019/फाल्गुन 8, 1940
No. 141]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019/PHALGUNA 8, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 157 (अ).— केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) उपधारा (2) के खंड (v) तथा धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय) की अधिसूचना का.आ.763 (अ) तारीख 14 सितंबर, 1999 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) ईंटों के विनिर्माण के लिए ऊपरी मृदा के उत्खनन को रोकने तथा कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से तीन सौ किलोमीटर के विनिर्दिष्ट परिधि के भीतर निर्माण क्रियाकलाप में तथा निर्माण सामग्री के विनिर्माण में फ्लाई ऐश के उपयोग का संवर्धन करने के लिए निदेश जारी किए गए थे।

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में यह उपबंध है कि जब कभी केंद्रीय सरकार यह समझती है कि किसी क्षेत्र में किसी उद्योग या किन्हीं प्रक्रियाओं या संक्रिया पर प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित किया जाना चाहिए तो वह ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगी;

अत: अब पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) तथा धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन, जिससे जन-साधारण के प्रभावित होने की संभावना है, किए जाने का प्रस्ताव करती है और एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त संशोधन के प्रारूप पर, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के पश्चात् उसकी प्रतियां जन-साधारण के लिए उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि पूरी होने पर अथवा उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या निदेशक (एचएसएमडी) को ई-मेल पते अर्थात् m.gangeya@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप संशोधन

1. उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 1 में:-

(i) "कोई व्यक्ति" से प्रारंभ और "भार आधार" पर समाप्त होने वाले उप-पैराग्राफ (i) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

"इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र से 300 किमी. के भीतर किसी भी नए रेड क्ले की ईंट के भट्टे की संस्थापना या प्रचालन नहीं किया जाएगा। 300 किलोमीटर के भीतर विद्यमान रेड क्ले के ईंट भट्टों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर फ्लाई ऐश आधारित ईंटों या ब्लॉकों या टाईल उत्पादन इकाई में परिवर्तित किया जाएगा। इस परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रति टन एक रूपये की दर से फ्लाई ऐश उपलब्ध कराया जाना चाहिए और 300 किलोमीटर तक की ऐसी इकाइयों तक पूरी परिवहन लागत को वहन किया जाना चाहिए।

परंतु यह कि शुष्क ईएसपी फ्लाई ऐश केकम से कम की बीस प्रतिशत भाग को, अन्य उपयोक्ताओं से अधिमानता के आधार पर, फ्लाई ऐश ईंटों, ब्लाकों और टाइलों की विनिर्माता इकाइयों को एक रूपये प्रति टन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यह, ताप विद्युत संयंत्र द्वारा पिछले वर्षों में 100 प्रतिशत उपयोग की उपलब्धि प्राप्त करने के पश्चात् भी लागू रहेगा। एक रूपये प्रति टन का यह नाममात्र का प्रभार बीजक तैयार करके अन्वेषण योग्यता/पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।"

(ii) उप पैराग्राफ (1क) के लिए, निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाएगा, अर्थात :-

"या क्ले फ्लाई ऐश ईंट, ब्लॉक या टाइल"

(iii) उप- पैराग्राफ (1ग) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1ग) "फ्लाई ऐश आधारित उत्पाद" प्रवर्ग के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए निर्माण सामग्रियों या उत्पादों के लिए न्यूनतम फ्लाई ऐश अंतर्वस्तु वह होगी, जो नीचे सारणी-। में दी गई है :-

सारणी

क्र.सं.	**निर्माण सामग्री या उत्पाद**	**भार के आधार पर फ्लाई ऐश का न्यूनतम प्रतिशत**
(1)	(2)	(3)
1.	फ्लाई ऐश, चूने, जिप्सम, बालू, पत्थरों की धूल आदि (क्ले के बिना) से बनी हुई फ्लाई ऐश, ईंटें, ब्लाक, टाइलें आदि	कुल कच्ची सामग्री का 50 प्रतिशत
2.	पैविंग ब्लाक, पैविंग टाइलें, चैक्र टाइलें, मोजाइक टाइलें, रुफिंग शीटें, प्रीकास्ट एलीमेंट आदि जिनमें सीमेंट का बाइंडर के रूप में उपयोग किया जाता है।	पीपीसी (आईएस-1489: भाग-।) या पीएससी (आईएस-455) या ओपीसी (आईएस-269/8112/12269) के 15 प्रतिशत अंतर्वस्तु का उपयोग
3.	सीमेंट	कुल कच्ची सामग्री का 15 प्रतिशत

4.	कंक्रीट, मोर्टर और प्लास्टर	पीपीसी (आईएस-1489: भाग-।) या पीएससी (आईएस-455) या ओपीसी (आईएस-269/8112/12269) के 15 प्रतिशत अंतर्वस्तु का उपयोग

(iv) उप-पैराग्राफ (1ङ) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1ङ) अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उप-पैराग्राफ (1क), (1ख) और (1ग) के उपबंधों के प्रवर्तन और निगरानी के लिए संबंधित राज्य सरकार और जिला दंडाधिकारी का समवर्ती क्षेत्राधिकार होगा।"

2. उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में :-

(i) उप-पैराग्राफ (1) (ii) में,"शुष्क ईएसपी फ्लाई ऐश के कम से कम बीस प्रतिशत से प्रारंभ होने और व्ययन किया जा सकता है" पर समाप्त होने वाले भाग के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"ताप विद्युत संयंत्रों के दायित्वों में पैरा 1(1) में दिए गए अनुसार शामिल होंगे।"

(ii) उप-पैराग्राफ (1) (ii) के पश्चात् निम्नलिखित भाग का लोप किया जाएगा;

"परंतु यह और कि शुष्क ईएसपी फ्लाई ऐश के 20 प्रतिशत का नि:शुल्क प्रदाय करने का निर्बंधन उन तापीय विद्युत संयंत्रों पर लागू नहीं होगा, जो विहित रीति में 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग करने में समर्थ हैं।"

3. उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में :-

(i) उप-पैराग्राफ (10) में, "जहां निर्मित क्षेत्र 1000 वर्ग फीट से अधिक है" शब्दों के लिए, शब्द "सभी सरकारी भवन और" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 09/01/2019-एचएसएमडी]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : (क) मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।-खंड 3-उपखंड (i) में का.आ.763(अ) दिनांक 14 सितम्बर, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(ख) संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।-खंड 3-उप खंड (i) में का.आ.979(अ) दिनांक 27 अगस्त, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(ग) संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3-उप खंड (i) में का.आ.2804(अ) दिनांक 3 नवम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(घ) संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।-खंड 3-उप खंड (i) में का.आ.254(अ) दिनांक 25 जनवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2019

G.S.R. 157(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (erstwhile Ministry of Environment & Forests) S.O. 763(E) dated the 14th September, 1999 (hereinafter referred to as the said notification) issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, issued directions for restricting the excavation of top soil for manufacture of bricks and promoting the utilization of fly ash in the manufacturing of building materials and in construction activity within a specified radius of three hundred kilometers from coal or lignite based thermal power plants.

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government proposes to make the following further amendments in the said notification for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft amendment notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette, in which this notification is published, are made available to the public.

The objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft amendments within the period specified above, will be taken into consideration by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to Director (HSMD) e-mail address i.e. m.gangeya@gov.in.

Draft amendments

1. In the said notification, in paragraph 1: -

(i) For sub-paragraph (1) beginning with "no person and ending with weight basis", the following shall be substituted, namely: –

"No new red clay brick kiln shall be installed and operated within 300 km from a coal or lignite based thermal power plant after publication of this notification. The existing red clay brick kilns located within 300 km shall be converted into fly ash based bricks or blocks or tiles manufacturing unit within one year from the date of publication of this notification. In order to encourage the conversion, Thermal Power Plants (TPPs) should provide fly ash at the rate of 1 Re per ton and bear the full transportation cost upto 300 km to such units.

Provided that at least 20% of dry ESP fly ash shall be made available to units manufacturing fly ash bricks, blocks and tiles fly ash products on priority basis over other users at the rate Re 1 per ton. This shall apply even if, the Thermal Power Plant has achieved 100% utilisation in previous years. The nominal charge of Re 1 per ton will ensure traceability/transparency by generating invoice.";

(ii) For sub-paragraph (1A), the following words shall be omitted, namely: –

"or clay fly ash bricks, blocks or tiles"

(iii) For sub-paragraph (1C), the following shall be substituted, namely:–

"(1C) Minimum fly ash content for building materials or products to qualify as "fly ash based products" category shall be as given in the Table I below:

TABLE I

Serial Number	Building Materials or Products	Minimum % of fly ash by weight
(1)	(2)	(3)
1.	Fly ash bricks, blocks, tiles, etc. made with fly ash, lime, gypsum, sand, stone dust etc. (without clay).	50% of total input materials
2.	Paving blocks, paving tiles, checker tiles, mosaic tiles, roofing sheets, pre-cast elements, etc. wherein	Usage of PPC (IS- 1489:Part-1) or PSC (IS-455) or 15% of OPC (IS-269/8112/12269)

	cement is used as binder.	content.
3.	Cement.	15% of total raw materials
4.	Concrete, mortar and plaster.	Usage of PPC (IS-1489: Part-1) or PSC (IS-455) or 15% of OPC (IS-269/8112/12269) content.

(iv) For sub-paragraph (1E), the following shall be substituted, namely:–

"1 (E) The concerned State Government and the District Magistrate shall have concurrent jurisdiction for enforcement and monitoring of the provisions of sub-paragraph (1A), (1B) and (1C) for ensuring compliance;".

2. In the said notification, in paragraph 2: -

(i) in sub-paragraph (1) (ii) for portion beginning with "at least 20 % of dry ESP fly ash and ending with as may be possible", the following shall be substituted, namely:–

"the responsibilities of Thermal Power Plants shall include as given in Para 1(1).";

(ii) After sub-paragraph (1) (ii), the following portion shall be omitted;

"Provided further that the restriction to provide 20 % of dry ESP fly ash free of cost shall not apply to those thermal power plants which are able to utlise 100 % fly ash in the prescribed manner"**.**

3. In the said notification, in paragraph 3: -

(i) in sub-paragraph (10), for the words "where built up area is more than 1000 square feet", the words "All Government Buildings and" shall be substituted.

[F.No. 09/01/2019-HSMD]
RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:(a) The principal notification were published in the Gazette of India, Extraordinary, PART II–Section 3–Sub-section (i), vide SO 763(E), dated the 14th September, 1999.

(b) The amendments were published in the Gazette of India, Extraordinary, PART II–Section 3–Sub-section (i), vide SO 979 (E), dated the 27th August, 2003.

(c) The amendments were published in the Gazette of India, Extraordinary, PART II–Section 3–Sub-section (i), vide SO 2804 (E), dated the 3rd November, 2009.

(d) The amendments were published in the Gazette of India, Extraordinary, PART II–Section 3–Sub-section (i), vide SO 254 (E), dated the 25th January, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.01 19:54:00 +05'30'